

# भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

[26 सितम्बर, 2013]

उद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और नगरीकरण के लिए भू-स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना भूमि अर्जन के लिए मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया, संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और ग्राम सभाओं के परामर्श से, सुनिश्चित करने तथा उन प्रभावित कुटुम्बों को, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है या जो ऐसे अर्जन से प्रभावित हुए हैं, न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर देने और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए, उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य भूमि अर्जन का समुच्चय परिणाम ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति ऐसे विकास में भागीदार बनें जिससे अर्जन के बाद की उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में सुधार हो सके, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का पर्याप्त उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 है।

(2) इस का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु केंद्रीय सरकार उस तारीख से, जिसको भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन मास के भीतर ऐसी तारीख नियत करेगी।

2. अधिनियम का लागू होना—(1) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए हैं, और लोक प्रयोजन के लिए भी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वे प्रयोजन भी हैं जिनके लिए, अर्थात्:—

(क) नौसेना, सेना, वायु सेना और संघ के सशस्त्र बलों से, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भी हैं, संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा अथवा राज्य पुलिस, जनसाधरण की सुरक्षा के महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (अवसंरचना अनुभाग) की तारीख 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं० 13/6/2009-आई०एन०एफ० में सूचीबद्ध सभी क्रियाकलाप या मर्दें, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों को छोड़कर;

(ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि में निवेशों के प्रदाय, भांडागारण, शीतागार सुविधाओं, कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों जैसे कि दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग के लिए विपणन अवसंरचना और मांस प्रसंस्करण से संबद्ध

परियोजनाएं, जो समुचित सरकार द्वारा या किसी कृषि सहकारिता द्वारा या किसी कानून के अधीन स्थापित किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई हों या उसके स्वामित्वाधीन हों;

(iii) औद्योगिक कोरिडोर अथवा खनन क्रियाकलाप, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में यथा अभिहित राष्ट्रीय विनिर्माण और विनिर्माण परिक्षेत्र के लिए परियोजना;

(iv) जल सिंचाई और जल संरक्षण अवसंरचना, स्वच्छता के लिए परियोजना;

(v) सरकार द्वारा प्रशासित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक और अनुसंधान स्कीमों या संस्थाओं के लिए परियोजना ;

(vi) क्रीडा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना;

(vii) कोई अवसंरचना सुविधा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् में ऐसी अधिसूचना रखे जाने के पश्चात् इस संबंध में अधिसूचित की जाए;

(ग) परियोजना से प्रभावित कुटुंबों की परियोजना के लिए;

(घ) ऐसे आय समूहों के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, गृह निर्माण की परियोजना की लिए;

(ङ) ग्रामीण स्थलों या नगरीय क्षेत्रों में किसी स्थल के योजनाबद्ध विकास या सुधार के लिए अथवा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि की व्यवस्था सम्बन्धी परियोजना के लिए;

(च) निर्धन या भूमिहीन व्यक्तियों या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा आरंभ की गई किसी स्कीम के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित हुए व्यक्तियों के आवासीय प्रयोजनों की परियोजना के लिए,

भूमि का अर्जन करती है।

(2) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, सहमति, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है;

(ख) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, प्राइवेट कंपनियों के लिए, भूमि का अर्जन करती है :

परंतु,—

(i) प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम अस्सी प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति; और

(ii) पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम सत्तर प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति,

ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिप्राप्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन के रूप में कोई भी भूमि ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यमान भूमि अंतरण से संबंधित किसी विधि का (जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय का ऐसा कोई आदेश या निर्णय भी है, जो अंतिम बन गया है) उल्लंघन करके अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उन मामलों में लागू होंगे, जहां,—

(क) कोई प्राइवेट कंपनी धारा 46 के उपबंधों के अनुसार भूमि के स्वामी से प्राइवेट बातचीत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, बराबर या उनसे अधिक भूमि का क्रय या अर्जन करती है :

(ख) कोई प्राइवेट कंपनी किसी लोक प्रयोजन के लिए इस प्रकार विहित किए गए किसी क्षेत्र के किसी भाग के अर्जन के लिए समुचित सरकार से अनुरोध करती है :

परंतु जहां प्राइवेट कंपनी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के आंशिक अर्जन हेतु समुचित सरकार से अनुरोध करती है, वहां दूसरी अनुसूची के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों संपूर्ण क्षेत्र के लिए, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी द्वारा क्रय की गई और सरकार द्वारा संपूर्ण परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि भी है, लागू होंगी।

### 3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रशासक” से धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रभावित क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए ;

(ग) “प्रभावित कुटुंब” के अंतर्गत,—

(i) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किंतु ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य या के सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है ;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है ;

(iv) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अंतर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है ;

(v) ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है ;

(vi) ऐसा कोई कुटुंब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है;

(घ) “कृषि भूमि” से —

(i) कृषि या उद्यान कृषि ;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट-पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों ;

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद ; और

(iv) पशुओं के चरागाह,

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है ;

(ङ) “समुचित सरकार” से—

(i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(ii) किसी संघ राज्यक्षेत्र (पुडुचेरी के सिवाय) के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार ;

(iii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

(iv) एक से अधिक राज्यों में लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से, केंद्रीय सरकार ; और

(v) संघ के ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार,

अभिप्रेत है :

परंतु किसी जिले के कलक्टर को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के संबंध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(च) “प्राधिकरण” से धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) “कलक्टर” से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उपायुक्त तथा समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहित कोई अधिकारी भी है ;

(ज) “आयुक्त” से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(झ) “अर्जन की लागत” के अंतर्गत निम्नलिखित आता है—

(i) प्रतिकर की रकम जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण, कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर संदेय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुंबों को संदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है ;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदत्त किया जाने वाल डेमरेज ;

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुंबों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत ;

(iv) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत ;

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत ;

(vi) (अ) भूमि, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो ;

(आ) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुंबों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च ;

(vii) “सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन” करने का खर्च;

(ज) “कंपनी” से अभिप्रेत है,—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी से भिन्न हो ;

(ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ;

(ट) “विस्थापित कुटुंब” से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ;

(ठ) किसी व्यक्ति के संबंध में “कार्य करने के लिए हकदार” के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जाएंगे, अर्थात्:—

(i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

(ii) अवयस्कों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबंधक, उस सीमा तक, जिस तक अवस्यक, पागल या अन्य विकृतचित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होते ;

परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी वादमित्र द्वारा या मामले के संरक्षक द्वारा किसी कलक्टर या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ;

(ड) “कुटुंब” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवस्यक भाई और अवयस्क बहिन हैं;

परन्तु विधवाओं और विवाह-विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुंबों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक् कुटुंब माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हों या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक् कुटुंब माना जाएगा ;

(द) “भू-धृति” से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अभिधारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है ;

(ण) “अवसंरचना परियोजना” के अंतर्गत धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक मदें भी आंगी ;

(त) “भूमि” के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं ;

(थ) “भूमिहीन” से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ii) उपखंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में, वह जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(द) “भू-स्वामी” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,—

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है; या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिए गए हैं; या

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अंतर्गत समनुदेशित भूमि भी है, वनाधिकार दिए जाने का हकदार है ; या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ;

(ध) “स्थानीय प्राधिकारी” के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई नगर योजना प्राधिकरण (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन यथापरिभाषित कोई पंचायत और अनुच्छेद 243त में यथापरिभाषित नगरपालिका है;

(न) “सीमांत कृषक” से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जिसके पास एक एकड़ तक की असिंचित भू-धृति है या आधे एकड़ तक की सिंचित भू-धृति है ;

(प) “बाजार मूल्य” से धारा 26 के अनुसार अवधारित भूमि का मूल्य अभिप्रेत है ;

(फ) “अधिसूचना” से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ब) “पट्टा” का वही अर्थ होगा जो सुसंगत केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में उसका है ;

(भ) “हितबद्ध व्यक्ति” से अभिप्रेत है—

(i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन मद्धे दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं ;

(ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन किन्हीं वन्य अधिकारों को खो दिया है ;

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृति अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं ; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(म) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(य) “परियोजना” से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति की संख्या को विचार में लिए बिना, अर्जन किया जा रहा है ;

(यक) “लोक प्रयोजन” से धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(यख) “अपेक्षक निकाय” से ऐसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसके अंतर्गत ऐसी समुचित सरकार भी है यदि भूमि का, ऐसी सरकार के अपने स्वयं के उपयोग के लिए या ऐसी भूमि का, लोक प्रयोजन के लिए, बाद में, यथास्थिति, किसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पट्टे, अनुज्ञप्ति के अधीन या भूमि अंतरण करने के किसी अन्य ढंग के माध्यम से अंतरण किए जाने के लिए, अर्जन किया जाता है ;

(यग) “पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुटुंबों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है ;

(यघ) “अनुसूचित क्षेत्र” से पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) की धारा 2 में यथापरिभाषित अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं ;

(यङ) “छोटा कृषक” से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है, जिसके पास दो एकड़ तक की असंचित भू-धृति है या एक एकड़ तक की संचित भू-धृति है, किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धृति है ;

## अध्याय 2

### सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन का अवधारण

#### अ. सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

4. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना—(1) जब कभी समुचित सरकार का, किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से, ऐसी रीति में और ऐसी तारीख से, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराएगी ।

(2) समुचित सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन परामर्श तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रारंभ होने संबंधी जारी की गई अधिसूचना, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी :

परंतु समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने के प्रक्रम पर, यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के प्रतिनिधि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए :

परंतु यह और कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाए ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट धारा 6 के अधीन विहित रीति में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अंतर्गत, अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ;

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ;

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, बंदोबस्तों और अन्य समान संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ;

(घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ;

(ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ;

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन :

परंतु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

(5) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी, जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना, विशिष्टता सड़कों, लोक परिवहन, जल-निकास, स्वच्छता, पेयजल के स्रोतों, पशुओं के लिए जल के स्रोतों, सामुदायिक जलाशयों, चरागाह भूमि, बागानों, जन सुविधाओं पर जैसे कि डाकघर, उचित दर दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं और कब्रस्थान तथा श्मशान घाट के लिए भूमि, पर पड़ने की संभावना है।

(6) समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने वाले प्राधिकारी से उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट घटक के लिए समाघात को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे उपाय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की उस प्रभावित क्षेत्र में प्रवर्तित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन जो कुछ उपलब्ध कराया गया है उससे कम नहीं होंगे।

**5. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई**—जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार कराया जाना अपेक्षित हो, समुचित सरकार, लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, प्रभावित कुटुंबों के मतों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित और सम्मिलित किया जाना अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के किए जाने को सुनिश्चित करेगी।

**6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन**—(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जाए और, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाए और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(2) जहां कहीं भी पर्यावरण समाघात निर्धारण किया जाए वहां सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति पर्यावरणीय समाघात निर्धारण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत समाघात निर्धारण अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी :

परंतु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

**आ. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन**

**7. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन**—(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा, जो कि उसके द्वारा गठित किया जाए, कराया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

- (क) दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक ;
- (ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि ;
- (ग) पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ ; और
- (घ) परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

(3) समुचित सरकार विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस समूह का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

- (क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता है; या
- (ख) परियोजना के सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक नहीं हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस आशय की सिफारिश करेगी कि परियोजना का तुरंत परित्याग कर दिया जाए और उसकी बाबत भूमि का अर्जन करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएं :

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को, विशेषज्ञ समूह द्वारा उसके व्यौरे और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण देते हुए, लेखबद्ध किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां समुचित सरकार, ऐसी सिफारिशों के बावजूद, अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे करने के उसके कारण लेखबद्ध किए जाएं।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

(क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा होगा; और

(ख) संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस बारे में विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगी कि क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि की सीमा, जिसकी कि परियोजना के लिए आवश्यकता है, पूर्णतया यथार्थ-न्यूनतम सीमा तक की है और क्या इससे कम विस्थापित किए जाने संबंधी कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं :

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को विशेषज्ञ समूह द्वारा ऐसे विनिश्चय के ब्यौरे और कारण देते हुए अभिलिखित किया जाएगा।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराई जाएंगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएंगी।

**8. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा—(1)** समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

(क) प्रस्तावित अर्जन का ऐसा विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभाव्य फायदों और लोक प्रयोजन का सामाजिक खर्चों और ऐसे प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में अधिक प्रभाव होगा, जिसे सामाजिक समाघात निर्धारण, जो किया गया है, द्वारा अवधारित किया जाए ;

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापना की जाए ;

(घ) ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है ;

(ङ) पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग उस लोक प्रयोजन के लिए किया जाए और वह उसकी बाबत सिफारिशें करेगी।

(2) समुचित सरकार, कलक्टर की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर विचार करेगी और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिससे लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में कम से कम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता हो।

(3) समुचित सरकार का विनिश्चय, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा :

परंतु जहां धारा 2 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन किए जाने की ईप्सा की जाती है, वहां समुचित सरकार यह भी अभिनिश्चित करेगी कि क्या प्रभावित कुटुंबों की पूर्व सहमति, जैसी धारा 2 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अपेक्षित है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त कर ली गई है।

**9. सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट—**जहां धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता संबंधी उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है वहां समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी।

### अध्याय 3

## खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध

**10. खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध—(1)** उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसी भूमि का इस शर्त के अधीन रहते हुए अर्जन किया जा सकेगा कि ऐसा आपवादिक परिस्थितियों में निरूप्य अंतिम उपाय के रूप में किया जा रहा है, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि का अर्जन किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं है, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्यीय विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं।



(3) जब कभी बहु-फसलीय सिंचित भूमि उपधारा (2) के अधीन अर्जित की जाती है, तब खेती योग्य बंजर भूमि के समान क्षेत्र को कृषि के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा या अर्जित की गई भूमि के मूल्य के बराबर रकम खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में विनिधान करने के लिए समुचित सरकार के पास जमा कराई जाएगी।

(4) ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आता है, कृषि भूमि का अर्जन ऐसे किसी जिले या राज्य में की सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में कुल मिलाकर उस जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र की उस सीमा से अधिक नहीं होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परन्तु इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं, जो दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, जैसे कि रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, सिंचन नहरों, विद्युत लाइनों, आदि की दशा में लागू नहीं होंगे।

#### अध्याय 4

### अधिसूचना और अर्जन

**11. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदुपरि अधिकारियों की शक्ति—**(1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तब उस आशय की, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के व्यौरों सहित, एक अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभिक अधिसूचना कहा गया है) निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) राजपत्र में ;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में ;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या सभाओं, नगरपालिका क्षेत्रों की दशा में नगरपालिकाओं और संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों की दशा में स्वायत्त परिषदों को, भूमि अर्जन के सभी मामलों में, उक्त उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना की अंतर्वस्तुओं के बारे में, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में, सूचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अंतर्वलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, उन कारणों का, जिनके कारण प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण के सारांश का और धारा 43 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रशासक की विशिष्टियों का एक कथन भी अन्तर्विष्ट होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :

परन्तु कलक्टर इस प्रकार अधिसूचित भूमि के स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर विशेष परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस उपबंध का किसी व्यक्ति द्वारा, स्वयं जानबूझकर किए गए अतिक्रमण के कारण उसको हुए किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति कलक्टर द्वारा नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् कलक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा जारी किए जाने के पूर्व, यथाविहित भूमि अभिलेखों को दो मास की अवधि के भीतर अद्यतन करने का कार्य अपने हाथ में लेगा और उसे पूरा करेगा।

**12. भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण करने की शक्ति—**समुचित सरकार को अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसे ऐसी सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, तथा उसके सेवकों और कर्मचारों के लिए—

(क) ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना तथा तलमापन करना ;

(ख) अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना ;

(ग) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना ;

(घ) उस भूमि की, जिसे लिए जाने की प्रस्थापना है, सीमाएं और उस संकर्म की, यदि कोई हो, जो उस पर किया जाना प्रस्तावित है, आशयित रेखांक नियत करना; और

(ङ) ऐसे तलों को, ऐसी सीमाओं को और रेखा को चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नांकित करना और जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और साफ करना,

विधिपूर्ण होगा :

परंतु भूमि की बाबत खंड (क) से खंड (ङ) के अधीन कोई कार्य भूमि के स्वामी की अनुपस्थिति में या स्वामी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को स्वामी की अनुपस्थिति में उस दशा में अपने हाथ में लिया जा सकेगा, यदि स्वामी को उस सर्वेक्षण के कम से कम साठ दिन पूर्व एक सूचना देकर ऐसे सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया हो :

परंतु यह भी कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन के भीतर या निवास-गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो ऐसे अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम सात दिन की लिखित सूचना पहले से दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा ।

**13. नुकसानी के लिए संदाय—**धारा 12 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी कारित किसी नुकसानी के भुगतान का संदाय या निविदान धारा 12 के अधीन प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में, वह उस विवाद को तत्क्षण जिले के कलक्टर या अन्य मुख्य राजस्व अधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

**14. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का व्यपगत होना—**जहां धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के अंकन की तारीख से बारह मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी रिपोर्ट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह व्यपगत हो गई है और धारा 11 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियां करने के पूर्व नए सिरे से सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य किया जाना अपेक्षित होगा :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलिखित किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

**15. आक्षेपों की सुनवाई—**(1) ऐसी किसी भूमि में, जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है और जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर—

(क) अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ;

(ख) लोक प्रयोजन के लिए दिए गए औचित्य के प्रति ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति,

आक्षेप कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप कलक्टर को लिखित रूप में किया जाएगा और कलक्टर आक्षेपकर्ता को, स्वयं या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी भी वह आवश्यक समझे या तो उस भूमि की बाबत, जो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है, एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों की बाबत विभिन्न रिपोर्टें, जिसे या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अंतर्विष्ट हों, उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख तथा भूमि के अर्जन की अनुमानित लागत उन प्रभावित कुटुंबों की, जिनका पुनर्व्यवस्थापन किए जाने की संभावना है, संख्या के बारे में विशिष्टियां देते हुए एक पृथक् रिपोर्ट के साथ उस सरकार के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आक्षेपों पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

**16. प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना—**(1) कलक्टर द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रभावित कुटुंबों का एक सर्वेक्षण कराएगा तथा उनकी जनगणना का कार्य हाथ में लेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा :—

(क) ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां, जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है ;

(ख) ऐसे भूमि खोने वालों और भूमिहीनों की बाबत, जिनकी जीविका अर्जित की जा रही भूमि पर मुख्यतः निर्भर है, खो गई जीविका ;

(ग) ऐसे लोकोपयोगी और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है जहां कि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य अंतर्वलित है ;

(घ) ऐसी सुख-सुविधाओं और अवसररचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जिन पर प्रभाव पड़ा है या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां कि प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन कार्य अंतर्वलित है ; और

(ङ) ऐसे किन्हीं सामान्य संपत्ति स्रोतों के ब्यौरे, जिनका अर्जन किया जा रहा है ।

(2) प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित किए गए अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक भू-स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है और जहां प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन में निम्नलिखित अंतर्वलित है—

(i) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची ;

(ii) ऐसी लोक सुख-सुविधाओं और अवसररचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जो पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सम्मिलित होगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार द्वारा स्थानीय रूप में अवगत कराया जाएगा और संबंधित ग्राम सभाओं या नगरपालिकाओं में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

(5) लोक सुनवाई, प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी:

परंतु ऐसे मामले में जहां किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभाएं या नगरपालिकाएं अंतर्वलित हैं, वहां लोक सुनवाई ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा और नगरपालिका में की जाएगी जहां कि उस ग्राम सभा या नगरपालिका की पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि का अर्जन किया जा रहा हो :

परंतु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ विचार-विमर्श पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(6) प्रशासक, लोक सुनवाई के पूरा होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप स्कीम लोक सुनवाई में किए गए दावों और आक्षेपों से संबंधित विनिर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ कलक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

**17. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन—**(1) कलक्टर, धारा 45 के अधीन परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के पास प्रशासक द्वारा धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रारूप स्कीम का पुनर्विलोकन करेगा ।

(2) कलक्टर, प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त को स्कीम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

**18. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना—**आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा और वह प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

**19. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन—**(1) जब समुचित सरकार का धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए “पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र” के रूप में पहचान किए गए किसी क्षेत्र की घोषणा के साथ, इस आशय की एक घोषणा उस सरकार के सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन की जाएगी और उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि के भिन्न-भिन्न खंडों की बाबत, इस बात को विचार में लिए बिना कि एक रिपोर्ट दी गई है या विभिन्न रिपोर्टें (जहां कहीं अपेक्षित हों) दी गई हैं, समय-समय पर, विभिन्न घोषणाएं की जा सकेंगी ।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक अपेक्षक निकाय भूमि के अर्जन की लागत मद्दे, ऐसी कोई रकम, पूर्णतः या भागतः जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह भी कि अपेक्षक निकाय रकम को तत्परता से जमा कराएगा जिससे समुचित सरकार धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर घोषणा को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके ।

(3) ऐसी परियोजनाओं में, जहां कि भूमि प्रक्रमों में अर्जित की जाती है, अर्जन संबंधी आवेदन में ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के विभिन्न प्रक्रमों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और सभी घोषणाएं इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रक्रमों के अनुसार की जाएंगी ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) राजपत्र में;

(ख) उस क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा में निम्नलिखित उपदर्शित होगा,—

(क) वह जिला या अन्य राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र; और

(ग) जहां भूमि के लिए कोई योजना बनाई जानी होगी, वहां वह स्थान, जहां ऐसी योजना का बिना किसी खर्च के निरीक्षण किया जा सकेगा ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् समुचित सरकार भूमि का, ऐसी रीति में जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जन कर सकेगी ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा प्रारंभिक अधिसूचना को तारीख से बारह मास के भीतर नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या किन्हीं अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिनके दौरान भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक अथवा व्यादेश के कारण रोक दिया गया हो :

परंतु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह भी कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

**20. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के चिह्नांकन सहित भूमि का चिह्नांकन किया जाना, उसका मापमान और रेखांकन किया जाना—** कलक्टर तदुपरांत भूमि को, जब तक कि उसे धारा 12 के अधीन पहले से चिह्नांकित न किया गया हो, चिह्नांकित और उसका मापमान कराएगा और यदि उसका कोई रेखांक तैयार नहीं किया गया है तो उसका रेखांक तैयार कराया जाएगा ।

**21. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना—**(1) कलक्टर, इस बात का कथन करते हुए कि सरकार का आशय उस भूमि का कब्जा लेने का है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे उसको किए जाएं, लोक सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर लोक सूचना दिलवाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और उस भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से सूचना में वर्णित स्थान और समय पर, जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् तीस दिन से अन्यून और छह मास से अनधिक का न हो कलक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने और उसमें भूमि में उनके अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के

अधीन किए गए मापमानों के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावों का, उनके आक्षेपों, यदि कोई हों, के साथ कथन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) कलक्टर किसी भी दशा में उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसा कथन पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित में और हस्ताक्षरित रूप में किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) कलक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगी पर, यदि कोई हो, और उन सभी व्यक्तियों पर, जिनकी बाबत यह ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि वे उसमें हितबद्ध हैं, इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए कार्य करने के हकदार हैं, जो उस राजस्व जिले के भीतर, जिसमें भूमि स्थित है, निवास करते हैं या उनकी ओर से तामील प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखते हैं, उस आशय की सूचना की भी तामील करेगा।

(5) यदि इस प्रकार हितबद्ध कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र निवास करता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, तो कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वह सूचना उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, कारबार के पते या स्थान पर भेजी जाए और उसे कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में तथा अपनी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित करेगा।

**22. नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करने और उसे प्रवृत्त करने की शक्ति**—(1) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक कथन सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित की प्रकृति और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उसे लेखे प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ, यदि कोई हों और जहां तक साध्य हो, अंतर्विष्ट हों, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के तीस दिन से अन्यून का नहीं होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन कथन करने और उसे परिदत्त करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर समझा जाएगा।

**23. कलक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय**—इस प्रकार नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को, जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, कलक्टर उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जो धारा 21 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में किए हैं और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के मूल्य और प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा, और—

(क) भूमि के सही क्षेत्र के बारे में ;

(ख) धारा 31 के अधीन यथा पारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय सहित धारा 27 के अधीन यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के बारे में, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ; और

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं या उन व्यक्तियों में से उनमें जिनके संबंध में या जिनके दावों की उसे सूचना है, चाहे वे स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा।

**24. कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में,—

(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे ; या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी :

परंतु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

**25. वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा**—कलक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यपगत हो जाएंगी :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

**26. कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण**—(1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात् :—

(क) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो ; या

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या

(ग) प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम,

इनमें से जो भी अधिक हो :

परन्तु बाजार मूल्य के अवधारण की तारीख वह तारीख होगी, जिसको धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है ।

**स्पष्टीकरण 1**—खंड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों को हिसाब में रख कर किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 2**—स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को हिसाब में लिया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 3**—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिले में किसी पूर्ववर्ती अवसर पर अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय, ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य की सूचक नहीं है, बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बाजार मूल्य निम्नलिखित कारण से अवधारित नहीं किया जा सकता है कि,—

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमि संबंधी संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन निर्बंधित है ; या

(ख) उसी प्रकार की भूमि के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में यथावर्णित पूर्ववर्ती ठीक तीन वर्ष के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय-करार उपलब्ध नहीं हैं ; या

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा बाजार मूल्य भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है,

वहां संबंधित राज्य सरकार, ठीक लगे हुए क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि की बाबत उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित कीमत के आधार पर, उक्त भूमि की भू-क्षेत्र कीमत या प्रति यूनिट क्षेत्र न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु ऐसी दशा में, जहां अपेक्षित निकाय भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर के भागरूप भूमि के स्वामियों को (जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने शेयर प्रस्थापित करता है, वहां किसी भी दशा में, ऐसे शेयर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संगणित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि अपेक्षित निकाय किसी भी दशा में, भूमि के किसी स्वामी को (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने ऐसे शेयर लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जिनका मूल्य उपधारा (1) के अधीन संगणित भूमि के मूल्य में कटौती योग्य है :

परन्तु यह भी कि कलक्टर, किसी क्षेत्र में भूमि अर्जन की कोई कार्यवाहियां आरंभ करने के पूर्व, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा :

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए अवधारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जिससे उनका अपने विकल्प की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार निर्बाधित या निराकृत न हो ।

**27. प्रतिकर की रकम का अवधारण—**कलक्टर, अर्जन की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने पर, भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा ।

**28. वे मापदंड, जिन पर कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण करने में विचार किया जाएगा—**कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में निम्नलिखित पर विचार करेगा—

पहले, धारा 26 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य और पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णीत की रकम ;

दूसरे, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों और वृक्षों को, जो कलक्टर द्वारा उनका कब्जा लिए जाने के समय उस भूमि पर हों, कब्जे में लेने के कारण हुआ नुकसान ;

तीसरे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को, उस भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

चौथे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे अर्जन के कारण, जिससे उसकी अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

पांचवें, हितबद्ध व्यक्ति को कलक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास-स्थान या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए विवश होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन के आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) ;

छठे, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में कमी होने के परिणामस्वरूप होने वाला कोई वास्तविक नुकसान (यदि कोई हो) ; और

सातवें, ऐसा कोई अन्य आधार, जो प्रभावित कुटुंबों के लिए साम्यापूर्ण, न्याय के हित में और उनके लिए फायदाप्रद हो ।

**29. भूमि या भवन से संलग्न वस्तुओं के मूल्य का अवधारण—**(1) कलक्टर, ऐसी भूमि या ऐसे भवन से जिनका अर्जन किया जाना है संलग्न भवन और अन्य स्थावर संपत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने में सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की ऐसी सेवाओं का जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(2) कलक्टर, अर्जित भूमि से संलग्न वृक्षों और पौधों के मूल्य का अवधारण करने में, कृषि, वनविज्ञान, उद्यानकृषि, रेशम कीट पालन के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(3) कलक्टर, भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान नुकसानग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसे अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

**30. तोषण का दिया जाना—**(1) कलक्टर, संदत्त किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए और शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य “तोषण” की रकम अधिरोपित करेगा ।

**स्पष्टीकरण—**शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि तोषण की रकम, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है, संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त होगी ।

(2) कलक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों का ब्यौरा और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के ब्यौरे देते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय जारी करेगा ।

(3) धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा ।

## अध्याय 5

## पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

**31. प्रभावित व्यक्तियों के लिए कलक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय—**(1) कलक्टर, दूसरी अनुसूची में उपबंधित हकदारियों के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय पारित करेगा।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

- (क) कुटुंब को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम ;
- (ख) उस व्यक्ति का, जिसको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय की रकम अंतरित की जानी हो, बैंक खाता संख्यांक ;
- (ग) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, आबंटित किए जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टियां ;
- (घ) विस्थापित कुटुंबों को आबंटित भूमि की विशिष्टियां ;
- (ङ) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, एक बारगी जीवन-निर्वाह भत्ते और परिवहन भत्ते की विशिष्टियां ;
- (च) पशु शेड और छोटी दुकानों के लिए संदाय की विशिष्टियां ;
- (छ) शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टियां ;
- (ज) प्रभावित कुटुंबों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले आज्ञापक नियोजन के ब्यौरे ;
- (झ) ऐसे किन्हीं मत्स्य अधिकारों की, जो अन्तर्वलित हों, विशिष्टियां ;
- (ञ) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों की विशिष्टियां ;
- (ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले विशेष उपबंधों की विशिष्टियां :

परन्तु यदि खंड (क) से खंड (ट) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों में से कोई विषय किसी प्रभावित कुटुंब को लागू नहीं होता है तो उसे “लागू नहीं होता” के रूप में उपदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, कीमत सूचकांक में बढोतरी को हिसाब में लेते हुए, प्रभावित कुटुंबों को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम की दर में वृद्धि कर सकेगी।

**32. पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र में अवसरंचनात्मक सुख-सुविधाओं का उपबंध—**कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी अवसरंचनात्मक सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सुख-सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करेगा।

**33. कलक्टर द्वारा अधिनिर्णयों को शुद्ध किया जाना—**(1) कलक्टर, किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के अपश्चात् या जहां उससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारा 64 के अधीन प्राधिकरण को निर्देश करने की अपेक्षा की गई है वहां, ऐसा निर्देश करने के पूर्व, आदेश द्वारा, अधिनिर्णयों में की किन्हीं लिपिकीय या गणित संबंधी भूलों अथवा उसमें होने वाली गलतियों को, स्वप्ररेणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, शुद्ध कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शुद्धि, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) कलक्टर इस प्रकार शुद्ध किए गए अधिनिर्णय में की गई किसी शुद्धि की सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तुरन्त सूचना देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई शुद्धि के परिणामस्वरूप यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी अधिक रकम का संदाय कर दिया गया है, वहां इस प्रकार संदत्त आधिक्य रकम प्रतिसंदेय होगी और संदाय करने में कोई व्यतिक्रम या उससे इंकार की दशा में, उसकी वसूली समुचित सरकार द्वारा यथाविहित रूप में, की जा सकेगी।

**34. जांच का स्थगन—**कलक्टर, ऐसे किसी कारण से, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर, जांच को ऐसे किसी दिन के लिए स्थगित कर सकेगा, जो उसके द्वारा नियत किया जाए।

**35. साक्षियों को समन करने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति—**कलक्टर को, इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत उनमें से कोई हितबद्ध पक्षकार भी हैं, उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति में, जो किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित है, समन करने, उनको हाजिर कराने और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।



**36. अभिलेख, आदि मंगाने की शक्ति**—समुचित सरकार, धारा 30 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व किसी भी समय, किन्हीं कार्यवाहियों का (चाहे जांच के रूप में हों या अन्यथा) अभिलेख किन्हीं निष्कर्षों या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु समुचित सरकार उस व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगी या ऐसा निदेश जारी नहीं करेगी जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

**37. कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा**—(1) अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच, चाहे वे कलक्टर के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए हों या नहीं, इस प्रकार अवधारित किए गए भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल तथा उससे संलग्न आस्तियों के बाजार मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णयों की सूचना ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों में से उनको तत्काल देगा, जो अधिनिर्णय किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे।

(3) कलक्टर, भूमि के अर्जन की दशा में की गई संपूर्ण कार्यवाहियों का सार, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यष्टि को दिए गए प्रतिकर की रकम भी है, इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से अर्जित की गई भूमि के व्यौरों के साथ, जनता के लिए खुला रखेगा और इस प्रयोजन के लिए सृजित वेबसाइट पर संप्रदर्शित करेगा।

**38. अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति**—(1) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेगा कि प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के पूर्ण भुगतान का प्रतिकर के लिए धारा 30 के अधीन किए गए अधिनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के धनीय भाग के लिए छह मास की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है या निविदान कर दिया गया है :

परन्तु दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के घटकों का, जो अवसंरचनात्मक हकदारियों से संबद्ध हैं, अधिनिर्णय की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर उपबंध किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सिंचाई या जल परियोजना, जो एक लोक प्रयोजन है, के लिए भूमि के अर्जन की दशा में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अर्जित भूमियों के निमज्जन छह मास पूर्व पूरी की जाएगी।

(2) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रभावित कुटुंबों को विस्थापित करने के पूर्व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया उसके सभी पहलुओं में पूरी की जाए।

**39. बहुस्थानिक विस्थापनों की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर**—कलक्टर, यथासंभव, ऐसे किसी कुटुंब को, जिसे समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जन के प्रयोजनार्थ पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, विस्थापित नहीं करेगा और यदि उसे इस प्रकार विस्थापित किया गया है तो वह इस अधिनियम के अधीन जो प्रतिकर अवधारित किया गया है उसके समतुल्य अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय द्वितीय या उत्तरवर्ती विस्थापनों के लिए करेगा।

**40. कतिपय दशाओं में भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में विशेष शक्तियां**—(1) अत्यावश्यकता की दशाओं में, जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे, कलक्टर, यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया हो, धारा 21 में वर्णित सूचना के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि का कब्जा ले सकेगा और ऐसा होने पर, ऐसी भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त, पूर्णतया सरकार में निहित हो जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किन्हीं आपातों के लिए या संसद् के अनुमोदन से किसी अन्य आपात के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक निर्बंधित होंगी :

परन्तु कलक्टर इस उपधारा के अधीन किसी भवन या किसी भवन के भाग का कब्जा, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना या ऐसे अधिक समय की सूचना, जो ऐसे अधिभोगी को किसी अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसे भवन से अपनी जंगम संपत्ति को हटाने में समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, दिए बिना नहीं लेगा।

(3) कलक्टर, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पूर्व ऐसी भूमि के लिए उसके द्वारा प्राक्कलित प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को संदाय निविदत्त करेगा।

(4) ऐसी किसी भूमि की दशा में, जिसको समुचित सरकार की राय में, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, समुचित सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 2 से अध्याय 6 के कोई या सभी उपबंध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय धारा 19 के अधीन उस भूमि की बाबत घोषणा की जा सकेगी।

(5) धारा 27 के अधीन यथा अवधारित कुल प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि और संपत्ति की बाबत, जिसके अर्जन के संबंध में इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की जा चुकी हैं, संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि परियोजना ऐसी है जो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सामरिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करती है, तो किसी अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

**41. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध—**(1) भूमि का कोई भी अर्जन, यथासंभव, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा।

(2) यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अंतिम अवलम्ब के रूप में किया जाएगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन या अन्यसंक्रामण की दशा में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में, यथास्थिति, संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमति ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिनके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जाएगी :

परन्तु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जाएगी, जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है।

(4) किसी अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अंतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुंबों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है, एक विकास योजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उनमें भूमि संबंधी उन अधिकारों का, जो शोध्य हैं किन्तु जिनका परिनिर्धारण नहीं किया गया है, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसंक्रामित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों के हकों को बहाल करने संबंधी प्रक्रिया के ब्यौरे अधिकथित करते हुए, तैयार की जाएगी।

(5) विकास योजना में गैरवन्य भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईंधन, चारे और गैरकाष्ठ वन्य उपज संसाधनों का विकास करने संबंधी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा, जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किए जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक-तिहाई रकम का संदाय प्रभावित कुटुंबों को प्रारंभ में ही पहली किस्त के रूप में किया जाएगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(7) अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित कुटुंबों को अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक संहत ब्लाक में पुनःव्यवस्थापित किया जाएगा जिससे कि वे अपनी जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(8) ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को, जिनमें प्रधानतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, सामुदायिक और सामाजिक समूहन के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी।

(9) जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्यसंक्रामण अकृत और शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी फायदे मूल जनजातीय भू-स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्ध भू-स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(10) प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को, जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तलाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त हैं, सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

(11) जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित कुटुंबों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, वहां उन्हें पचास हजार रुपए की एक बारगी हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे संदत्त किए जाएंगे जिन्हें वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगे।

**42. आरक्षण और अन्य फायदे—**(1) वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी उपलब्ध फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

(2) जब कभी अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध प्रभावित कुटुंबों को, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किए जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियां और फायदे उन क्षेत्रों में भी, जहां उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, इस बात पर विचार किए बिना कि पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र उक्त पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र है या नहीं, प्रदान किए जाते रहेंगे।

(3) जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है, वहां उनको धनीय राशि में परिमाणित किया जाएगा और ऐसे संबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जाएगा।

## अध्याय 6

### पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और रीति

**43. प्रशासक की नियुक्ति—**(1) जहां समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों का अस्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, वहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस परियोजना के संबंध में, संयुक्त कलक्टर या अपर कलक्टर या उप कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी या राजस्व विभाग के समतुल्य पदधारी को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) प्रशासक को, दक्षतापूर्वक कृत्य करने और विशेष समय-सीमा को पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, तथा कार्यालय अवसरचना उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी ऐसे उतने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, जितने समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, सहायता की जाएगी, जो उसके अधीनस्थ होंगे।

(3) समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानीटरीकरण प्रशासक में निहित होगा।

**44. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त—**(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जाएगा।

(2) आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का पर्यवेक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

**45. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति—**(1) जहां ऐसी भूमि, जिसका अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, वहां समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(ज) संबंधित क्षेत्र का संसद् सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती ;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि : और

(ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

(3) इस धारा में वर्णित प्रक्रिया के निर्वहन को विनियमित करने की प्रक्रिया और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

**46. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू होना—**(1) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति प्राइवेट बातचीत के माध्यम से किसी क्षेत्र के लिए ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्य के उन विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन खर्च का संदाय किया जाना अपेक्षित है, बराबर या उससे अधिक भूमि क्रय कर रहा है, वहां वह जिला कलक्टर को उसे निम्नलिखित के बारे में सूचना देते हुए एक आवेदन फाइल करेगा,—

- (क) क्रय करने का आशय ;
- (ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए ऐसा क्रय किया जा रहा है ;
- (ग) क्रय की जाने वाली भूमियों की विशिष्टियां ।

(2) कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह उस मामले को इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी सुसंगत उपबंधों के समाधान के लिए आयुक्त को निर्दिष्ट करे ।

(3) कलक्टर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के आधार पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों को सम्मिलित करते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(4) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पूर्णतया पालन न किए जाने की दशा में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के उपबंधों का अनुपालन किए बिना, भूमि का कोई क्रय आरंभ से ही शून्य होगा:

परंतु समुचित सरकार अपने राज्य में भूमि के विक्रय या क्रय के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का उपबंध कर सकेगी और उक्त प्रयोजन के लिए सीमाएं अथवा अधिकतम सीमा भी नियत करेगी ।

(6) यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति द्वारा 5 सितंबर, 2011 को या उसके पश्चात् प्राइवेट बातचीत के माध्यम से क्रय की गई है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी सीमाओं से अधिक है और यदि उसी भूमि का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्जन किया जाता है, तो ऐसी अर्जित भूमि के लिए संदत्त प्रतिकर का चालीस प्रतिशत हिस्सा मूल भू-स्वामियों के साथ बांटा जाएगा ।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “मूल भू-स्वामी” पद 5 सितंबर, 2011 को जो भू-स्वामी है उसके प्रति निर्देश करता है;
- (ख) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद के अंतर्गत—
  - (i) समुचित सरकार ;
  - (ii) सरकारी कंपनी ;
  - (iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति-संगम, न्यास या सोसाइटी, जो पूर्णतः या भागतः समुचित सरकार द्वारा सहायता पाती है या समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन है,

से भिन्न कोई व्यक्ति आता है ।

**47. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन राशि का परिमाणन और जमा किया जाना—**जहां कलक्टर का यह मत है कि अपेक्षक निकाय की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी बाध्यताओं को धनीय राशि में परिमाणित किया जा सकता है, वहां वह ऐसी राशि का उन बाध्यताओं को पूर्णतया पूरा करने में, ऐसे किसी खाते में संदाय करने की अनुज्ञा देगा, जिसको धारा 43 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा कलक्टर के पर्यवेक्षणाधीन प्रशासित किया जाएगा ।

## अध्याय 7

### राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति

**48. राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना—**(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने और उनको मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराज्यिक परियोजनाओं के लिए, जब कभी आवश्यक हो, एक राष्ट्रीय मानीटरी समिति का गठन कर सकेगी ।

(2) समिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी ।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) केन्द्रीय सरकार समिति को उसके दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

**49. रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं**—राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय मानीटरी समिति को नियमित और समयबद्ध रीति में तथा तब भी, जब कभी भी अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सभी सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएंगे।

**50. राज्यीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना**—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको मानीटर करने के लिए एक राज्यीय मानीटरी समिति का गठन करेगी।

(2) समिति, राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो राज्य द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार समिति को उसके दक्षतापूर्वक कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

### अध्याय 8

### भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना

**51. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना**—(1) समुचित सरकार, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक या अधिक प्राधिकरणों की, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, स्थापना करेगी।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रों को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके भीतर प्राधिकरण द्वारा धारा 64 के अधीन उसे किए गए निर्देशों को या धारा 64 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किए गए आवेदनों को ग्रहण करने और उनका विनिश्चय करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकेगा।

**52. प्राधिकरण की संरचना**—(1) प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहा गया है) होगा जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, एक प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को किसी दूसरे प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

**53. पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं**—(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,—

(क) वह जिला न्यायाधीश है या रहा है; या

(ख) वह कम से कम सात वर्ष से अर्हित विधि व्यवसायी है।

(2) किसी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा ऐसे किसी उच्च न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता में प्राधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी।

**54. पीठासीन अधिकारी की पदावधि**—किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

**55. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द**—(1) समुचित सरकार, प्राधिकरण को एक रजिस्ट्रार तथा उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह सरकार ठीक समझे।

(2) प्राधिकरण का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

**56. पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें**—किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु उक्त पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् उनके न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनके लिए अलाभप्रद रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

**57. रिक्तियों का भरा जाना**—यदि किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो समुचित सरकार, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेंगी, जिस प्रक्रम पर रिक्ति भरी जाती है।

**58. त्यागपत्र और हटाया जाना**—(1) किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, समुचित सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु पीठासीन अधिकारी, जब तक समुचित सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्र त्यागने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

(2) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के पश्चात्, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) समुचित सरकार, नियमों द्वारा, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी।

**59. प्राधिकरण का गठन करने संबंधी आदेशों का अंतिम होना और उनसे उसकी प्रक्रियाओं का अविधिमान्य न होना**—(1) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने संबंधी समुचित सरकार का कोई आदेश किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और प्राधिकरण के समक्ष के किसी कार्य या कार्यवाही को मात्र इस आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है।

**60. प्राधिकरण की शक्तियां और उसके समक्ष कार्यवाही**—(1) प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;
- (घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों का पुनर्विलोकन करना ;
- (छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण को धारा 64 के अधीन उसे किए गए प्रत्येक निर्देश पर न्यायनिर्णयन करने की आरंभिक अधिकारिता होगी।

(3) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए मार्गदर्शित होगा, प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(4) प्राधिकरण, धारा 64 के अधीन निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् और संबंधित सभी पक्षकारों को ऐसे निर्देश की सूचना देने के पश्चात् तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश का उसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा और तदनुसार अधिनिर्णय करेगा।

(5) प्राधिकरण ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संबंधित पक्षकारों को अधिनिर्णय की प्रतियां परिदत्त कराने की व्यवस्था करेगा।

**61. प्राधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना**—प्राधिकरण के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा और प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

**62. प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना**—प्राधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

**63. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना**—किसी सिविल न्यायालय को (संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भिन्न) भूमि अर्जन से संबंधित ऐसे किसी विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसकी बाबत कलक्टर या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त है, और किसी ऐसे मामले की बाबत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

**64. प्राधिकरण को निर्देश**—(1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वह संदेय है, अध्याय 5 और अध्याय 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए :

परंतु कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा :

परंतु यह और कि जहां कलक्टर ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि कलक्टर को तीस दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निदेश दिया जाए।

(2) आवेदन में उन आधारों का कथन होगा, जिन पर अधिनिर्णय के प्रति आक्षेप किया गया है :

परंतु प्रत्येक ऐसा आवेदन,—

(क) यदि उसे करने वाला व्यक्ति उस समय कलक्टर के समक्ष, जब उसने अपना अधिनिर्णय दिया था, उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था तो कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा ;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 21 के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के भीतर, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, किया जाएगा :

परंतु यह और कि कलक्टर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था।

**65. प्राधिकरण को कलक्टर का कथन**—(1) कलक्टर, निर्देश करने में, प्राधिकरण की जानकारी के लिए निम्नलिखित के बारे में स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा,—

(क) भूमि की, उस पर किन्हीं वृक्षों, भवनों, खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित, अवस्थिति और सीमा ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में उसके पास यह समझने का कारण है कि वे ऐसी भूमि में हितबद्ध हैं ;

(ग) धारा 13 के अधीन नुकसानियों के लिए अधिनिर्णीत और संदत्त या निविदत्त रकम और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम;

(घ) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम ; और

(ङ) यदि आक्षेप प्रतिकर की रकम के प्रति है तो वे आधार, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कथन के साथ हितबद्ध व्यक्तियों पर तामील की गई सूचनाओं और उनके द्वारा लिखित में किए गए या परिदत्त कथनों की विशिष्टियां देते हुए एक अनुसूची संलग्न की जाएगी।

**66. प्राधिकरण द्वारा सूचना की तामील**—प्राधिकरण, तदुपरांत वह दिन विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसको प्राधिकरण आक्षेप का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा, और उस दिन को, प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति का निदेश देने संबंधी सूचना की, निम्नलिखित व्यक्तियों पर, अर्थात् :—

(क) आवेदक पर ;

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसे व्यक्तियों के सिवाय (यदि कोई हों) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय अभ्यापत्ति किए बिना प्राप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं ; और

(ग) यदि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के संबंध में है तो कलक्टर पर,

तामिल कराएगा।

**67. कार्यवाहियों की परिधि पर निर्बंधन**—ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जांच की परिधि को, उन व्यक्तियों के हित पर विचार किए जाने तक निर्बंधित किया जाएगा जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ता है।

**68. कार्यवाहियों का सार्वजनिक होना**—प्रत्येक ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की जाएगी और राज्य में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार सभी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में (यथास्थिति) उपस्थित होने, अभिवाक् करने और कार्य करने के लिए हकदार होंगे।

**69. प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण**—(1) अर्जित की गई भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का, जिसके अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां भी हैं, अवधारण करने में प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि कलक्टर ने इस अधिनियम की धारा 26 से धारा 30 और अध्याय 5 के अधीन के उपबंधों के अधीन उपवर्णित मापदंडों का पालन किया है अथवा नहीं।

(2) प्राधिकरण, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा ऊपर उपबंधित है, प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि की बाबत धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उससे ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख या भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं।

(3) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त जैसा ऊपर उपबंधित है, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में संपूर्ण प्रतिकर की रकम पर एक सौ प्रतिशत का तोषण अधिनिर्णीत करेगा।

**70. अधिनिर्णय का प्ररूप**—(1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित में और प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें धारा 28 के पहले खंड के अधीन अधिनिर्णीत रकम तथा उसी धारा के अन्य खंडों में से प्रत्येक के अधीन क्रमशः अधिनिर्णीत रकमों को भी (यदि कोई हों), उक्त रकमों में से प्रत्येक का अधिनिर्णय किए जाने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खंड (2) तथा खंड (9) के अर्थान्तर्गत प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय को क्रमशः डिक्री तथा प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय के आधारों के कथन को निर्णय समझा जाएगा।

**71. खर्च**—(1) प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय में, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही में उपगत खर्चों की रकम का और उन व्यक्तियों का, जिनके द्वारा और उन अनुपातों का, जिनमें उनका संदाय किया जाना है, कथन होगा।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय को मान्य नहीं ठहराया जाता है तो खर्च का, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण की यह राय न हो कि आवेदक का दावा बहुत ही अपरिमित है या कलक्टर के समक्ष अपना यह पक्षकथन रखने में उसने बहुत उपेक्षा बरती कि उसके खर्चों से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चों के कुछ भाग का संदाय करना चाहिए, संदाय साधारणतया कलक्टर द्वारा किया जाएगा।

**72. कलक्टर को आधिक्य प्रतिकर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश दिया जाना**—यदि ऐसी राशि, जो संबंधित प्राधिकरण की राय में, कलक्टर द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से अधिक है, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, तो संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह निदेश दिया जा सकेगा कि कलक्टर द्वारा ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया था, ऐसे आधिक्य का प्राधिकरण को संदाय किए जाने की तारीख तक, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय किया जाए :

परंतु संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग का उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया गया था, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण को संदाय किया जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जिसका उस समाप्ति की तारीख के पूर्व प्राधिकरण को संदाय नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

**73. प्राधिकरण के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनः अवधारण**—(1) जहां इस अध्याय के अधीन किसी अधिनिर्णय में, संबंधित प्राधिकरण, आवेदक को धारा 23 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है, वहां धारा 11 के अधीन उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली सभी अन्य भूमियों में हितबद्ध व्यक्ति और जो कलक्टर के अधिनिर्णय से व्यथित भी हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने कलक्टर को कोई आवेदन नहीं किया था, संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख से तीस मास के भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम का, प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर, पुनः अवधारण किया जाए:

परंतु तीन मास की अवधि की, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलक्टर को आवेदन किया जाएगा, संगणना करने में उस दिन को, जिसको अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय हो, अपवर्जित किया जाएगा।



(2) कलक्टर उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करेगा और आवेदनों को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने संबंधी अधिनिर्णय करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को संबंधित प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

**74. उच्च न्यायालय को अपील—**(1) धारा 69 के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित अपेक्षक निकाय या कोई व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था, तो वह साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर उसके फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासाध्य शीघ्रता से की जाएगी और उस अपील का निपटारा उस तारीख से, जिसको अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, छह मास के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उच्च न्यायालय” से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता के भीतर अर्जित की गई या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि स्थित है।

## अध्याय 9

### प्रतिकर का प्रभाजन

**75. प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना—**जब अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं तो यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन से सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियों को अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के बीच अधिनिर्णय प्रभाजन की शुद्धता का निश्चयक साक्ष्य होगा।

**76. प्रभाजन के बारे में विवाद—**जब प्रतिकर की रकम परिनिर्धारित कर दी गई है तो यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा।

## अध्याय 10

### संदाय

**77. प्रतिकर का संदाय या प्राधिकरण में उसका जमा किया जाना—**(1) कलक्टर, धारा 30 के अधीन कोई अधिनिर्णय करने पर उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को अधिनिर्णय के अनुसार संदाय निविदत्त करेगा और जब तक उन्हें उपधारा (2) में वर्णित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारित न किया गया हो, उनके बैंक खातों में रकम जमा करके उसका उनको संदाय करेगा।

(2) यदि प्रतिकर के लिए हकदार व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देता है या यदि भूमि का अन्यसंक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर प्राप्त करने के हक के बारे में या उसके प्रभाजन के बारे में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम को उस प्राधिकरण में जमा करेगा, जिसको धारा 64 के अधीन निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु हितबद्ध माना जाने वाला कोई व्यक्ति रकम की पर्याप्तता के बारे में अभ्यापत्ति के अधीन ऐसे संदाय को प्राप्त कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभ्यापत्ति न करके उससे भिन्न रूप में रकम प्राप्त की है, धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा :

परंतु यह भी कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत संपूर्ण प्रतिकर या उसके किसी भाग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को उसका संदाय करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**78. अन्यसंक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्ति की भूमियों की बाबत जमा किए गए धन का विनिधान—**(1) यदि कोई धन धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित प्राधिकरण में जमा किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि वह भूमि, जिसकी बाबत वह अधिनिर्णीत किया गया था, ऐसे किसी व्यक्ति की है, जिसे उसका अन्यसंक्रामण करने की शक्ति नहीं थी, तो संबंधित प्राधिकरण,—

(क) वैसे ही हक और स्वामित्व की ऐसी शर्तों के अधीन जिनके अधीन वह भूमि धारित की गई थी बाबत ऐसा धन जमा किया गया हो, धारित की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में; या

(ख) यदि ऐसा क्रय तुरंत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो संबंधित प्राधिकरण ठीक समझे,

उस धन का विनिधान किए जाने का आदेश देगा और ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो तत्समय उक्त भूमि का कब्जा लेने के लिए हकदार हों, संदाय करने का निदेश देगा और ऐसे धन तब तक इस प्रकार जमा और विनिहित बने रहेंगे जब तक कि उनका,—

(i) पूर्वोक्तानुसार ऐसी अन्य भूमियों का क्रय करने में; या

(ii) उसके लिए पूर्णतः हकदार होने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजन न कर दिया जाए।

(2) जमा किए गए धन के सभी मामलों में, जिनको यह धारा लागू होती है, संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों के खर्चों का, अर्थात्:—

(क) यथा पूर्वोक्त ऐसे विनिधानों के खर्चों का ;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के, जिनमें ऐसे धन का तत्समय विनिधान किया गया है, ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के लिए और ऐसे मूलधन का संबंधित प्राधिकरण के बाहर के संदाय आदेशों के और उनसे संबंधित सभी कार्यवाहियों के, उनको छोड़कर, जो परस्पर विरोधी दावाकर्ताओं के बीच मुकदमेबाजी द्वारा हुए हों, खर्चों का,

जिनके अंतर्गत उनमें के सभी युक्तियुक्त प्रभार और उसके आनुषंगिक व्यय भी हैं, संदाय कलक्टर द्वारा किए जाने का आदेश देगा।

**79. अन्य मामलों में जमा किए गए धन का विनिधान**—जब धारा 78 में वर्णित हेतुओं से भिन्न किसी हेतु के लिए इस अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकरण में कोई धन जमा किया गया है, तब प्राधिकरण, ऐसे धन में हितबद्ध या किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसका ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो वह उचित समझे, विनिधान करने और ऐसी रीति में संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जिससे उसके विचार में उसमें हितबद्ध पक्षकारों को वही या यथाशक्य उसके निकटतम फायदा देगा, जो ऐसी भूमि से, जिसकी बाबत ऐसा धन जमा किया गया है, उन्हें हुआ होता।

**80. ब्याज का संदाय**—जब ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व संदत्त या जमा नहीं की जाती है, तो कलक्टर अधिनिर्णीत रकम का, ऐसा कब्जा लेने के समय से उस समय तक जब उसका इस प्रकार संदाय या उसे जमा नहीं करा दिया जाता है; नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित संदाय करेगा :

परंतु यदि ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग का, उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर संदाय या उसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर की ऐसी रकम या उसके भाग पर, जिसको ऐसी समाप्ति की तारीख के पूर्व संदत्त या जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

## अध्याय 11

### भूमि का अस्थायी अधिभोग

**81. बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग, जब प्रतिकर के संबंध में मतभेद हो तब प्रक्रिया**—(1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है तब समुचित सरकार, उसका अधिभोग और उपयोग, ऐसे अधिभोग के प्रारंभ से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधियों के लिए, जो वह ठीक समझे, उपाप्त करने का कलक्टर को निदेश दे सकेगी।

(2) कलक्टर तदुपरि ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है लिखित सूचना देगा और यथापूर्वोक्त ऐसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियों (यदि कोई हों) के लिए उनको या तो कुल धनराशि के रूप में या मासिक या अन्य कालिक संदायों के रूप में उतने प्रतिकर का संदाय करेगा जितना क्रमशः उसके और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में करार पाया जाए।

(3) यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद होता है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा।

**82. प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर**—(1) कलक्टर, ऐसे प्रतिकर का संदाय किए जाने पर या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा 64 के अधीन निर्देश किए जाने पर, उस भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा और उक्त सूचना के निबंधनों के अनुसार उसका उपयोग कर सकेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) कलक्टर उस अवधि के अवसान पर, हितबद्ध व्यक्तियों को उस नुकसान के लिए (यदि कोई हो) जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए करार द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, प्रतिकर का संदाय या उसका निविदान करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगा :

परंतु यदि वह भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ऐसी अवधि के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व वह उपयोग में लाई जाती थी, उपयोग में लाए जाने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गई है और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो समुचित सरकार उस भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो।

**83. भूमि की दशा के संबंध में मतभेद**—यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस अवधि के अवसान पर उस भूमि की दशा के संबंध में या उक्त करार से संबंधित किसी विषय के संबंध में मतभेद है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को संबंधित प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा।

## अध्याय 12

### अपराध और शास्तियां

**84. मिथ्या जानकारी, असद्भावपूर्वक कार्रवाई, आदि के लिए दंड**—(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा या निदेश के संबंध में कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो मिथ्या या भ्रामक है या कोई मिथ्या दस्तावेज पेश करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) कोई मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से उठाया गया कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधित फायदा समुचित सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वसूल किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(3) अनुशासनिक कार्यवाहियां, अनुशासन प्राधिकारी द्वारा ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध की जा सकेगी जो, यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध की बाबत असद्भावपूर्वक कार्रवाई का दोषी साबित होता है, ऐसे दंड के लिए, जिसके अंतर्गत जुर्माना भी है, दायी होगा जो अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए।

**85. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर के संदाय या पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति छह मास के दंड से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

**86. कंपनियों द्वारा अपराध**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम तथा अपेक्षक निकाय है ; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**87. सरकारी विभागों द्वारा अपराध**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रधान से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या

मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**88. न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान**—महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

**89. अपराधों का असंज्ञेय होना**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध को असंज्ञेय समझा जाएगा।

**90. अपराधों का कतिपय व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई शिकायत पर ही संज्ञेय होना**—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वह अपेक्षक निकाय द्वारा किया गया है, संज्ञान, कलक्टर या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्रभावित कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा लिखित शिकायत पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

## अध्याय 13

### प्रकीर्ण

**91. मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यर्पण प्रवर्तित कराया जाना**—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है या उसके समक्ष अडचन डाली जाती है, तो वह, यदि वह मजिस्ट्रेट है, उस भूमि का उसे अभ्यर्पित किया जाना प्रवर्तित करा लेगा और यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह मजिस्ट्रेट से या पुलिस के आयुक्त से आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा मजिस्ट्रेट या आयुक्त कलक्टर को उस भूमि का अभ्यर्पण किया जाना प्रवर्तित कराएगा।

**92. सूचना की तामील**—(1) धारा 66 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी सूचना की तामील किसी सूचना की दशा में उसमें वर्णित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और किसी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर के आदेश द्वारा हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी।

(2) सूचना की तामील, जब कभी ऐसा करना साध्य हो, उसमें नामित व्यक्ति पर की जाएगी।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तब तामील उसके कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसी के साथ में निवास करता है, की जा सकेगी और यदि ऐसा वयस्क सदस्य नहीं पाया जा सकता है तो सूचना की तामील उस गृह के, जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, बाहरी द्वार पर उसकी प्रति लगाकर या पूर्वोक्त अधिकारी के या कलक्टर के कार्यालय में या न्यायसदन में के किसी सहजदृश्य स्थान पर और अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य भाग में भी उसकी एक प्रति लगाकर की जा सकेगी :

परंतु यदि कलक्टर या न्यायाधीश ऐसा निदेश दे तो सूचना ऐसे पत्र में, जो उसमें नामित व्यक्ति के, जिसे उसमें संबोधित किया गया हो, अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, पते या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में और उसकी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित किया जाएगा।

**93. अर्जन का पूरा किया जाना अनिवार्य न होना किंतु यदि अर्जन पूरा नहीं किया जाए तो प्रतिकर का अधिनिर्णीत किया जाना**—(1) समुचित सरकार ऐसी किसी भूमि का, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है अर्जन करने से प्रत्याहृत हो जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

(2) जब कभी समुचित सरकार ऐसा अर्जन करने से अपने को प्रत्याहृत कर ले, तब कलक्टर सूचना के या तद्धीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो नुकसान स्वामी को पहुंचा है, उसके लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम का उन सब खर्चों सहित संदाय करेगा जो उस व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के अभियोजन में युक्तियुक्त रूप से उठाए हों।

**94. गृह या भवन के एक भाग का अर्जन**—(1) इस अधिनियम के उपबंध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य भवन के केवल एक भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे, यदि स्वामी यह वांछा करता है कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा भवन इस प्रकार अर्जित किया जाए :

परंतु यदि इस संबंध में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी गृह, विनिर्माणशाला या भवन का भाग है या नहीं तो कलक्टर द्वारा ऐसे प्रश्न का अवधारण संबद्ध प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा जब तक कि उस प्रश्न का अवधारण न हो जाए।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन किए गए ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में संबद्ध प्राधिकारी इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या भवन के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा है।

(3) यदि समुचित सरकार की, अर्जित की जाने वाली भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण किसी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दावे की दशा में यह राय है कि दावा अयुक्तियुक्त या अत्यधिक है तो वह, कलक्टर द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के पूर्व, किसी भी समय उस संपूर्ण भूमि के अर्जन का आदेश दे सकेगी जिसका कि वह भूमि, जिसका अर्जन सर्वप्रथम ईप्सित था, एक भाग है।

(4) इस प्रकार अपेक्षित भूमि के किसी अर्जन की दशा में धारा 11 से धारा 19 के अधीन (जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं भी आती हैं) कोई भी नई घोषणा या अन्य कार्यवाहियां आवश्यक नहीं होंगी; किंतु कलक्टर समुचित सरकार के आदेश की प्रति हितवद्ध व्यक्ति को अविलंब देगा और तत्पश्चात् धारा 23 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा।

**95. किसी स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय के खर्चों पर भूमि का अर्जन—**(1) जहां इस अधिनियम के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि के या किसी अपेक्षक निकाय के खर्चों पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किए जाते हैं वहां ऐसे अर्जन के आनुषंगिक भूमि संबंधी प्रभार ऐसी निधि में से या अपेक्षक निकाय द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई कार्यवाही कलक्टर या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष होती है, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय हाजिर हो सकेगा और प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य पेश कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय धारा 64 के अधीन संबंधित प्राधिकारी को निर्देश कराने की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

**96. आय-कर, स्टॉप-शुल्क या फीस से छूट—**इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर कोई आय-कर या स्टॉप-शुल्क, धारा 46 के अधीन के सिवाय, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी किसी प्रति के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

**97. प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण—**इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी ऐसे दस्तावेज की, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, कोई प्रमाणित प्रति, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 57 के अधीन दी गई प्रति भी है, ऐसे दस्तावेज में अभिलिखित संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में प्रतिगृहीत की जा सकेगी।

**98. अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना—**इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की लिखित में एक मास पूर्व सूचना दिए बिना प्रारंभ नहीं की जाएगी और न पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् अभियोजित की जाएगी।

**99. प्रयोजन में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना—**ऐसे प्रयोजन या संबद्ध प्रयोजनों के संबंध में, जिसके लिए भूमि मूल रूप से अर्जित किए जाने की ईप्सा की गई है, कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि अर्जित भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसका अर्जन किया गया था, किन्हीं अकल्पित परिस्थितियों के कारणवश किसी मूलभूत परिवर्तन के कारण अनुपयोगी हो गई है तो समुचित सरकार उस भूमि का किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगी।

**100. अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना—**समुचित सरकार की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**101. अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना—**जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजन के लिए “भूमि बैंक” से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

**102. भूमि की कीमत में अंतर जब उसे बाटे जाने वाले उच्चतर प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है—**जब कभी इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामित्व को प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो ऐसी भूमि पर कोई विकास न होने पर वर्धित भूमि मूल्य के चालीस प्रतिशत को उन व्यक्तियों के बीच, जिनसे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों के बीच उस मूल्य के, जिस पर भूमियों का अर्जन किया गया था, अनुपात में अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बांटा जाएगा :

परन्तु फायदा केवल उस प्रथम विक्रय या अंतरण पर प्रोद्भूत होगा जो अर्जन की कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् होता है।

**103. उपबंधों का विद्यमान विधियों के अतिरिक्त होना**—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

**104. समुचित सरकार का पट्टे पर लेने का विकल्प**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, जहां कहीं संभव हो, धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि का अर्जन करने के बजाय उसे पट्टे पर लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

**105. इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना**—(1) इस उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में किसी का लोप कर सकेगी या उनमें कुछ जोड़ सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के ऐसे कोई उपबंध जो प्रभावित कुटुंबों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित ऐसे उपबंधों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

**106. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची को किसी भी रूप में प्रतिकर को कम किए बिना अथवा इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों को क्षीण किए बिना संशोधित या परिवर्तित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

**107. प्रभावित कुटुंबों के लिए अधिक फायदाप्रद किसी विधि को अधिनियमित करने की राज्य विधान-मंडलों की शक्ति**—इस अधिनियम की कोई बात इस अधिनियम के अधीन उपवर्णित हकदारियों को बढ़ाने या परिवर्धित करने के लिए कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने से किसी राज्य को निवारित नहीं करेगी जो इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर से उच्चतर प्रतिकर प्रदत्त करता है या ऐसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपबंध करता है जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित से अधिक फायदाप्रद है ।

**108. बेहतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा लेने के लिए प्रभावित कुटुंबों का विकल्प**—(1) जहां किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी राज्य विधि या नीति में भूमि के अर्जन के लिए इस अधिनियम के अधीन संगणित से अधिक प्रतिकर का उपबंध है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसा उच्चतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा चुन सकेगा ।

(2) जहां राज्य सरकार द्वारा विरचित कोई राज्य विधि या नीति इस अधिनियम से भिन्न उस विधि या नीति के अधीन अधिक फायदाप्रद पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रस्थापना करती है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर इस अधिनियम के बजाय ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसे पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन उपबंधों का फायदा चुन सकेगा ।

**109. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति**—(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (2) के पहले परन्तुक के अधीन पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया;

- (ख) धारा 2 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं;
- (ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट करने की रीति और समय-सीमा;
- (घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की रीति;
- (ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण करने और जनगणना करने की रीति और समय;
- (च) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करने की रीति;
- (छ) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन लोक सुनवाई करने की रीति;
- (ज) धारा 19 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन अपेक्षक निकाय द्वारा रकम जमा किए जाने की रीति;
- (झ) ऐसी रीति जिसमें और ऐसी अवधि जिसके भीतर धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन संदत्त की गई किसी आधिक्य रकम की वसूली की जा सकेगी;
- (ञ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन विकास योजना तैयार की जाएगी;
- (ट) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व;
- (ठ) धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की प्रक्रिया;
- (ड) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
- (ढ) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन राज्यीय मानीटरी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों के संदेय भत्ते;
- (ण) धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
- (त) धारा 56 के अधीन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं);
- (थ) धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन कोई अन्य विषय;
- (द) धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन, मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उठाए गए फायदों को वसूल करने की रीति;
- (ध) धारा 101 के अधीन प्रत्यावर्तन द्वारा अनुपयोजित भूमि को वापस करने की रीति;
- (न) जहां कहीं इस अधिनियम के उपबंधों में उपबंधित हों, प्रकाशन की रीति;
- (प) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए।

**110. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**111. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जहां इसके दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**112. केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्व प्रकाशन**—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने की शक्ति पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन होगी।

**113. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**114. निरसन और व्यावृत्ति—**(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन ऐसा निरसन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर ऐसे निरसनों के प्रभाव के बारे में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा ।



पहली अनुसूची  
[धारा 30 (2) देखिए]  
भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर

धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट उन लोगों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है और अभिधारियों को समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले अनुपात में दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिकर पैकेज निम्नलिखित संघटकों से मिलकर गठित होगा :

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा	
2.	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	शहरी क्षेत्र से परियोजना की ऐसी दूरी के आधार पर, 1.00 (एक) से 2.00 (दो) जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।	
3.	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	1 (एक)।	
4.	भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य	धारा 29 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	
5.	तोषण	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 2 या शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक <b>जमा स्तंभ (2)</b> के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य से गुणित किया जाएगा।	
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि का बाजार मूल्य, जिसे क्रम संख्यांक 2 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से <b>जमा स्तंभ (2)</b> के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य <b>जमा स्तंभ (2)</b> के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा।	
7.	शहरी क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक <b>जमा स्तंभ (2)</b> के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य <b>जमा स्तंभ (2)</b> के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा।	
8.	सम्मिलित किए जाने वाले अन्य संघटक, यदि कोई हों।		

**टिप्पण**—ऐसी तारीख, जिसको स्तंभ (2) के अधीन वर्णित मूल्यों का अवधारण किया जाएगा, प्रत्येक क्रम संख्यांक के सामने स्तंभ (4) के अधीन उपदर्शित किया जाना चाहिए।

## दूसरी अनुसूची

[धाराएं 31 (1), 38 (1) और 105 (3) देखिए]

ऐसे तत्त्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची में उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भू-स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्त्व

क्रम संख्या	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के तत्त्व	हकदारी/उपबंध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नहीं (यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विस्थापन की दशा में आवासन इकाइयों की व्यवस्था	<p>(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।</p> <p>(2) ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा :</p> <p>परंतु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी, प्राप्त करेगा :</p> <p>परंतु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा :</p> <p>परंतु यह भी कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b>—शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिली भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।</p>	
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना	

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी :</p> <p>परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी ।</p>	
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	<p>यदि भूमि को शहरीकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को, उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी :</p> <p>परन्तु यदि भूस्वामित्व परियोजना से प्रभावित कुटुंब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे जो भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज संदेय है उससे समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी ।</p>	
4.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	<p>समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है :</p> <p>(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना; या</p> <p>(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपए का एक बारगी संदाय; या</p> <p>(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।</p>	
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	<p>ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा ।</p> <p>इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे ।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)
		अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा संभव, प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिकी क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों को, उनकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सके।	
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में पचास हजार रुपए की एकबारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।	
7.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए।	
8.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान	किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।	
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।	
10.	एकबारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपए का एकबारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।	
11.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। (2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। (3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।	

## तीसरी अनुसूची

[धाराएं 32(2), 38 (1) और 105 (3) देखिए]

### अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएं कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके।

युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए ऐसी न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन, जो समुचित हों, उपलब्ध कराना उचित होगा:—

क्रम सं०	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के संघटक	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क-लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।	
2.	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	
3.	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आशवासित स्रोत।	
4.	पशुओं के लिए पेय जल की व्यवस्था।	
5.	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह।	
6.	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या।	
7.	यथोचित पंचायत घर।	
8.	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर।	
9.	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।	
10.	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आबंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं, यदि सिंचाई परियोजना से संबंधित न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं।	
11.	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।	
12.	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशान घाट।	
13.	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।	

(1)	(2)	(3)
14.	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।	
15.	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।	
16.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	
17.	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।	
18.	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।	
19.	बच्चों के लिए क्रीडास्थल।	
20.	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।	
21.	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।	
22.	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चिह्नित किया जाना।	
23.	वन में रहने वाले कुटुंबों को, जहां संभव हो, गैर-काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन, यदि वे व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हों, उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब बेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र में की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति में अपनी पहुंच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपभोग को जारी रख सकेंगे।	
24.	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।	
25.	सन्नियमों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।	

**टिप्पण**—क्रम सं० 1 से 25 के सामने स्तंभ (2) में वर्णित अवसरचनात्मक सुख-सुविधाओं के प्रत्येक संघटक के ब्यौरे स्तंभ (3) में भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपदर्शित किए जाने चाहिए।

चौथी अनुसूची  
(धारा 105 देखिए)

भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन को विनियमित करने  
वाली अधिनियमितियों की सूची

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) ।
2. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) ।
3. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) ।
4. भारतीय ड्राम अधिनियम, 1886 (1886 का 11) ।
5. भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885 (1885 का 18) ।
6. भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) ।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।
8. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ।
9. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) ।
10. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का 60) ।
11. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।
12. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) ।
13. रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) ।